कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 117 /XXV–12 /2008 (P–3) देहरादून : दिनांक 16 फरवरी, 2014

सेवा में,

श्री रमेश चन्द्र शर्मा,
प्रबन्धक ट्रस्टी,
धर्मशाला मांई गिन्दा कुंवर बरेली ट्रस्ट,
सुभाष घाट, हरिद्वार।

विषयः– सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत चाही गयी सूचना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपील संख्या A(D).16816 /2014 पर दिनांक 13 फरवरी, 2015 को सुनवाई के दौरान मा0 आयोग के दिशा–निर्दशों के अनुपालन में, आपके सूचना अधिकारी सम्बन्धी आवेदन पत्र दिनांक 30 सितम्बर, 2014 के बिन्दु संख्या–05 के द्वारा वांछित सूचना के क्रम में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 81 की प्रति संलग्न प्रेषित है।

2. बिन्दु संख्या–04 के क्रम में आपसे हुई वार्ता के क्रम में यह भी अनुरोध है कि उक्त संबंध में अपने शिकायती पत्र दिनांक 09 मई, 2014 की प्रति शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि तद्नुसार यथासमय अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैंः–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
04–सुभाष रोड़,सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

पृ0संख्या 117 /XXV–12(1–5)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– .1. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, लाडपुर, देहरादून को अपील संख्या A(D).16816 /2014 की सुनवाई दिनांक 13 फरवरी, 2015 में निर्गत निर्देशों के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

2. जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को इस कार्यालय के पत्र संख्या 1054 दिनांक 03 मई, 2014 के क्रम में सूचनार्थ एवं इस आषय से प्रेषित कि उक्त पर की गई कार्यवाही से तत्काल शिकायतकर्ता एवं मु0नि0अ0 कार्या0 को अवगत कराने का कष्ट करें तथा संलग्न सूचना अधिकार सम्बन्धी प्रार्थना पत्र दिनांक 30 सितम्बर, 2014 के बिन्दु संख्या–04 में वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध कराने हेतु लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

(च) "निर्वाचन अभ्यर्थी" से ऐसा अभ्यर्थी अभिप्रेत है जिसका नाम सम्यक् निर्वाचित के रूप में धारा 67 के अधीन प्रकाशित कर दिया गया है ।

अध्याय 2---निर्वाचन अर्जियों का [1][उच्च न्यायालय] को उपस्थित किया जाना

80. निर्वाचन अर्जियां---कोई भी निर्वाचन इस भाग के उपबंधों के अनुसार उपस्थित की गई निर्वाचन अर्जी द्वारा प्रश्नगत किए जाने के सिवाय प्रश्नगत न किया जाएगा ।

[2][80क. उच्च न्यायालय द्वारा निर्वाचन अर्जियों का विचारण---(1) उच्च न्यायालय ही निर्वाचन अर्जी का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाला न्यायालय होगा ।]

(2) ऐसी अधिकारिता मामूली तौर पर उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त की जाएगी और मुख्य न्यायमूर्ति उस प्रयोजन के लिए समय-समय पर एक या अधिक न्यायाधीश समनुदिष्ट करेगा :

परंतु जहां कि उच्च न्यायालय केवल एक न्यायाधीश द्वारा गठित है, वहां वह उस न्यायालय को उपस्थापित सब निर्वाचन अर्जियों का विचारण करेगा ।

(3) उच्च न्यायालय न्याय या सुविधा के हितों में किसी निर्वाचन अर्जी का पूर्णतः या भागतः विचारण ऐसे स्थान में जो उच्च न्यायालय की बैठक के स्थान से भिन्न है स्वविवेकानुसार कर सकेगा ।]

81. अर्जियों का उपस्थित किया जाना---(1) किसी निर्वाचन को प्रश्नगत करने वाली निर्वाचन अर्जी धारा 100 की [3][उपधारा (1)] और धारा 101 में विनिर्दिष्ट आधारों में से एक या अधिक पर [4][उच्च न्यायालय] को ऐसे निर्वाचन में के किसी अभ्यर्थी द्वारा या किसी निर्वाचक द्वारा निर्वाचित अभ्यर्थी के [5][निर्वाचन की तारीख से या यदि निर्वाचन में एक से अधिक निर्वाचित अभ्यर्थी हैं और निर्वाचन की तारीख भिन्न है तो उन तारीखों में से पश्चात्वर्ती तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर किंतु उस तारीख से पहले नहीं] उपस्थित की जा सकेगी ।

स्पष्टीकरण---इस उपधारा में "निर्वाचक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो उस निर्वाचन से, जिससे निर्वाचन अर्जी सम्बद्ध है मत देने के लिए हकदार था भले ही उसने ऐसे निर्वाचन में मतदान किया हो या न किया हो ।

[6]* * * * *

[7][(3) हर निर्वाचन अर्जी के साथ उसकी उतनी प्रतियां होंगी जितने प्रत्यर्थी उस अर्जी में वर्णित हैं [8]*** और अर्जीदार हर ऐसी प्रति को अपने हस्ताक्षर से अनुप्रमाणित करेगा कि वह अर्जी की सही प्रति है ।]

[9][82. अर्जी के पक्षकार---अर्जीदार अपनी अर्जी में प्रत्यर्थी के रूप में---

(क) उस दशा में, जिसमें कि अर्जीदार इस घोषणा के लिए कि सब निर्वाचित अभ्यर्थियों या उनमें से किसी का निर्वाचन शून्य है, दावा करने के अतिरिक्त इस अतिरिक्त घोषणा के लिए भी कि वह स्वयं या कोई अन्य अभ्यर्थी सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गया है दावा करता है, अर्जीदार से भिन्न निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को और उस दशा मे, जिसमें कि ऐसी अतिरिक्त घोषणा के लिए दावा नहीं किया गया है सब निर्वाचन अभ्यर्थियों को ; तथा

(ख) किसी अन्य अभ्यर्थी को जिसके विरुद्ध किसी भ्रष्ट आचरण के अभिकथन अर्जी में किए गए हैं ; संयोजित करेगा ।]

[10][83. अर्जी की अन्तर्वस्तु----(1) निर्वाचन अर्जी---

(क) में उन तात्विक तथ्यों का संक्षिप्त कथन अन्तर्विष्ट होगा जिन पर अर्जीदार निर्भर करता है;

---

[1] 19 अधिनियम सं0 47 की धारा 39 द्वारा (14-12-1966 से) "निर्वाचन आयोग" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 38 द्वारा (14-12-1966 से) अंतःस्थापित ।
[3] 1956 के अधिनियम सं0 27 की धारा 44 द्वारा "उपधाराओं (1) और (2)" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 39 द्वारा (14-12-1966 से) "निर्वाचन आयोग" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 1956 के अधिनियम सं0 27 की धारा 44 द्वारा कुछ शब्दो के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 39 द्वारा (14-12-1966 से) उपधारा (2) का लोप किया गया ।
[7] 1961 के अधिनियम सं0 40 की धारा 17 द्वारा (20-9-1961 से) अन्तःस्थापित ।
[8] 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 39 द्वारा (14-12-1966 से) कुछ शब्दों का लोप किया गया ।
[9] 1956 के अधिनियम सं0 27 की धारा 45 द्वारा धारा 82 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[10] 1956 के अधिनियम सं0 27 की धारा 46 द्वारा धारा 83 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

80. Election petitions.—No election shall be called in question except by an election petition accordance with the provisions of this Part.

[2][**80A. High Court to try election petitions.**—(*1*) The Court having jurisdiction to try an election pet the High Court.

(*2*) Such jurisdiction shall be exercised ordinarily by a single Judge of the High Court and the Chief from time to time, assign one or more Judges for that purpose:

Provided that where the High Court consists only of one Judge, he shall try all election petitions pre Court.

(*3*) The High Court in its discretion may, in the interests of justice or convenience, try an election petiti partly, at a place other than the place of seat of the High Court.]

81. Presentation of petitions.—(*1*) An election petition calling in question any election may be presen more of the grounds specified in [3][sub-section (*1*)] of section 100 and section 101 to the [4][High Court] by any such election or any elector [5][within forty-five days from, but not earlier than the date of election of candidate, or if there are more than one returned candidate at the election and the dates of their election are diff of those two dates].

Explanation.—In this sub-section, "elector" means a person who was entitled to vote at the election election petition relates, whether he has voted at such election or not.

[6]* * * * *

[7][(*3*) Every election petition shall be accompanied by as many copies thereof as there are respondents me petition [8]***, and every such copy shall be attested by the petitioner under his own signature to be a tr petition.]

[9][**82. Parties to the petition.**—A petitioner shall join as respondents to his petition—

(*a*) where the petitioner, in addition to claiming a declaration that the election of all or any candidates is void, claims a further declaration that he himself or any other candidate has been duly contesting candidates other than the petitioner, and where no such further declaration is claimed, all candidates; and

(*b*) any other candidate against whom allegations of any corrupt practice are made in the petiti

[10][**83. Contents of petition.**—(*1*) An election petition—

(*a*) shall contain a concise statement of the material facts on which the petitioner relies;

(*b*) shall set forth full particulars of any corrupt practice that the petitioner alleges, including as as possible of the names of the parties alleged to have committed such corrupt practice and the date commission of each such practice; and

1. Subs. by Act 47 of 1966, s. 39, for "Election Commission" (w.e.f. 14-12-1966).
2. Ins. by s. 38, *ibid.* (w.e.f. 14-12-1966).
3. Subs. by Act 27 of 1956, s. 44, for "sub-sections (*1*) and (*2*)".
4. Subs. by Act 47 of 1966, s. 39, for "Election Commission" (w.e.f.14-12-1966).
5. Subs. by Act 27 of 1956, s. 44, for certain words.
6. Sub-section (*2*) omitted by Act 47 of 1966, s. 39 (w.e.f. 14-12-1966).
7. Ins. by Act 40 of 1961, s. 17 (w.e.f. 20-9-1961).
8. Certain words omitted by Act 47 of 1966, s. 39 (w.e.f. 14-12-1966).
9. Subs. by Act 27 of 1956, s. 45, for s. 82.
10. Subs. by s. 46, *ibid.*, for s. 83.